

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)



(An Autonomous Organisation under the Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)



सं. सी.बी.एस.ई/संबद्ध/परिपत्र/26/2021

दिनांक:।। .03.2021

सी.बी.एस.ई से संबद्ध सभी स्कूलों के प्रमुख,

विषय: माननीय उत्त्वम न्यायालय के आदेश दिनांक 14.08.2017 के अनुपालन हेतु राष्ट्रिय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा (एन.डी.एम.ए) जारी दिशानिर्देशों का स्कूलों में कार्यान्वयन।

उपयुक्त विषय और इस कार्यालय परिपत्र सं. 05/2018 दिनांक 27.03.2018 का संदर्भ ग्रहण करें, जहां स्कूल में बच्चों की सुरक्षा से संबन्धित एन.डी.एम.ए. एवं एन.सी.पी.सी.आर. द्वारा जारी व्यापक दिशानिर्देशों एवं प्रक्रिया का अनुपालन करने के लिए एक परामर्शिका सभी संबद्ध स्कूलों को जारी की गई है।

इसके अतिरिक्त, बोर्ड को महा निदेशक, स्कूल शिक्षा, पंजाब से दिनांक 05.01.2021 को एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें यह सूचित किया है कि पंजाब प्रांत में अवस्तिथ स्कूल एन.डी.एम.ए के व्यापक दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन गंभीरता से नहीं के रहे हैं।

अत: इस संबंध में बोर्ड के संबद्धता बाइ-लाज में एन.डी.एम.ए. एवं एन.सी.पी.सी.आर. के व्यापक दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन के लिए जारी विभिन्न प्रावधानों को सुनिश्चित करने के लिए पुनः निर्देशित किया जाता है।

पंजाब प्रांत में अवस्तिथ स्कूलों को सूचित किया जाता है कि, स्कूल शिक्षा विभाग मे सॉफ्टवेयर नामत: "स्कूल सुरक्षा मानदंड" "school safety parameters" तैयार किया है और अपने ई-पंजाब पोर्टल पर एक लिंक जनरेट किया है जो ई-पंजाब लॉगिन-आईडी के माध्यम से लॉगिन किया जा सकता है।। संबद्ध स्कूलों को ई-पंजाब पोर्टल पर सूचना भरने के लिए निर्देशित किया जाता है ताकि वहाँ से स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा से संबन्धित सूचना संकलित की जाये।

उपयुक्त दिशानिर्देशों का अनुपालन न किए जाने पर, बोर्ड द्वारा संबद्धता बाइ-लाज के प्रावधान अनुसार उचित कार्यवाही की जाएगी।

बोर्ड के सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी।

(अनुराग त्रिपाठी), सचिव, के.मा.शि.बो.







केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)



No. CBSE/Aff/Circular/04/2021

Date:1/03/2021

HEADS OF ALL CBSE AFFILIATED SCHOOLS

Subject: Implementation of the school safety guidelines issued by the National Disaster Management (NDMA) in order to comply with the directions of the Hon'ble Supreme Court of India Order dated 14.08.2017-reg.

This has reference to the above subject and CBSE Circular No 05/2018 dated 27.03.2018, where an advisory has been issued to all the affiliated schools for adherence to the comprehensive guidelines and procedure framed by NDMA and NCPCR related to safety of children in school.

Further, the Board is in receipt of letter dared 05.01.2021 from the Director General School Education, Punjab wherein it is informed that schools located in the State of Punjab are not serious in implementing the comprehensive guidelines of NDMA.

It is hereby reiterated to ensure compliance of various provisions of Affiliation Bye-Laws of the Board which has been issued for implementation of comprehensive guidelines of NDMA and NCPCR related to safety of children in school.

Also, schools located in State of Punjab are hereby informed that Department of School Education has prepared software namely "School Safety Parameters" and generated a link on its E-Punjab portal which may be accessed through E-Punjab login ID. The affiliated schools are directed to fill-up the information on E-Punjab portal so that information should be compiled from there, which is related to Safety of children in school.

In case of any deviation on the above guidelines is noticed, the Board would be constrained to take further action, under the Affiliation Bye Laws including initiating action for disaffiliation of the school.

This issue with the approval of the Competent Authority of the Board.

(Anurag Tripathi) Secretary, CBSE



